268

संख्या- /X-2-2013-12(39)/2012

प्रेषक,

मनोज चन्दन,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 **देहरादून** **दिनांक 22 अक्टूबर, 2013**

विषयः- वन विभाग के अनुदान सं0-27 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 के राज्य सेक्टर के आयोजनागत पक्ष की योजना "वन पंचायतों की सुदृढ़ीकरण योजना" में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन उत्तरखण्ड के पत्रांक नि-327/3-5(रा0सै0-व0पं0सु0) दि0-26 अगस्त, 2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के अनुदान संख्या-27 के अन्तर्गत **"वन पंचायतों की सुदृढ़ीकरण योजना"** योजना में चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए प्राविधानित आय-व्ययक के सापेक्ष ₹ 72,50,000/- **(₹ बहत्तर लाख पवास हजार मात्र)** व्यय किये जाने के लिए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं :-

1. उक्त स्वीकृत व्यय चालू योजनाओं पर ही किया जाये और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के कार्यान्वयन के लिए न किया जाय तथा विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-284/XXVII(1)/2013 दिनांक 30 मार्च, 2013 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सक्षम स्तर की अनुमति/यथा स्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही किया जाय। शासन द्वारा वांछित सूचनायें एवं विवरण/मासिक प्रगति विवरण निर्धारित प्रारूप व समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा वन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
2. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आंगणन का संक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण एवं तदोपरान्त वित्तीय/प्रशासनिक और तकनीकी/प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ही आहरण एवं व्यय किया जायेगा।
3. बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है. अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व वन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय. धनराशि का आहरण एवं व्यय अनुमोदित परिव्यय के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा। साथ ही पूर्व अवमुक्त धनराशियों के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जायेगा इसके अतिरिकत योजना की प्रगति तथा उददेश्यों की पूर्ति संतोषजनक होने पर ही धनराशि आहरित एंव व्यय की जायेगी।
4. आपके निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय, जिससे की फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।
5. आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण निर्धारित बी0एम0-प्रपत्र पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा।
6. व्यय के सम्बन्ध में निर्धारित बी0एम0-प्रपत्र पर नियमित रूप से प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को विलम्बतम 05 तारिख तक पूर्व माह की सूचना उपलब्ध कराई जाय.
7. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय को फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा, जिससे की राज्य स्तर पर कैश-फ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो.
8. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि मजदूरी तथा व्यावसायिक सेवाओं के लिये भुगतान मदों के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से कार्मिकों की संख्या सम्बन्धित ईकाई में समकक्ष स्तर के स्वीकृत परन्तु रिक्त पदों की अधिकतम सीमा अन्तर्गत अथवा वित्त विभाग की पूर्व सहमति से स्वीकृत सीमा, इनमें से जो भी कम हो, के अन्तर्गत ही रहेगी।

क्रमशः.....2

9. मानक मदों के आहरण प्रणाली के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-ब-06/X-2-2010-12(11)/2009 दि0 31 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी.
10. योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहां आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय।
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
12. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति का आवंटन पत्र कम्प्यूटर के माध्यम से जनरेट किया गया है एवं इसका Allotment Id S1310270094 है। आप भी अपने स्तर से अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों को कम्प्यूटर के माध्यम से online बजट आवंटन करना सुनिश्चित करेंगे।
13. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों से कराये जाने वाले कार्यों की सूचना यथावश्यकता सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1638/XXX-1-12(25)2011, दिनॉक 8 दिसम्बर, 2011 द्वारा अपेक्षित राज्य सरकार की वेबसाइट www.ua.nic.in तथा विभाग की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जायेगी और उन्हें समय-समय पर अध्यावधिक किया जायेगा।
14. आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जायेगा एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न अधिक व्ययभार सृजित किया जायेगा।

2- उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष अनुदान संख्या-27 के लेखा शीर्षक 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 01-वानिकी 800-वन्य व्यय 34-00- वन पंचायतों की सुदृढ़ीकरण योजना हेतु निम्नलिखित सूची में अंकित विवरणानुसार संगत मदों के नामे डाला जायेगा। इस प्रयोजन हेतु Online Budget Allotment की हार्ड कॉपी भी संलग्न की जा रही है :-

(धनराशि ₹ हजार में)

क्र0सं0	लेखा शीर्षक / योजना मानक मद का नाम	आय-व्ययक प्रावधान	शासन से पूर्व में निर्गत वित्तीय स्वीकृति	वर्तमान वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव
1	2	3	4	6
	अनुदान सं0-27			
	2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 01- वानिकी			
	800-अन्य व्यय 34-00-वन पंचायतों की सुदृढ़ीकरण योजना			
	04-यात्रा व्यय	1000	500	500
	08-कार्यालय व्यय	500	250	250
	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	200	100	100
	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पैट्रोल आदि की खरीद	200	100	100
	18-प्रकाशन	100	50	50
	24-वृहद् निर्माण	5000	2250	2250
	25-लघु निर्माण	3000	1350	1350
	29-अनुरक्षण	650	300	300
	42-अन्य व्यय	1500	750	750
	44-प्रशिक्षण व्यय	1500	750	750
	योग	13650	7250	7250

(वर्तमान वित्तीय स्वीकृति ₹ बहत्तर लाख पचास हजार मात्र)

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(मनोज चन्द्रन)
अपर सचिव

क्रमशः.....3

संख्या-4034 (1)/x-2-2013, तद्दिनांकित.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार(लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटरर्स।
2. मैसर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
3. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून
5. प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड शिविर कार्यालय-देहरादून।
6. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन तथा लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून
7. मुख्य वन संरक्षक, सर्तकता एवं कानून प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
10. आयुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल मण्डल।
11. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
13. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून।
15. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
16. गार्ड फाइल।

(मनोज चन्द्रन)
अपर सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20132014

Secretary, Forest (S016)

*आवंटन पत्र संख्या - /X-2-2013-12(39)/2012

अनुदान संख्या - 027

अलोटमेंट आई डी - S1310270094

आवंटन पत्र दिनांक -14-Oct-2013

HOD Name - Principal Chief Conservator of Forest (4260)

1: लेखा शीर्षक 2406 - वानिकी तथा वन्य जीवन
800 - अन्य व्यय
00 -

01 - वानिकी

34 - वन पंचायतों की सुदृढीकरण योजना

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
04 - यात्रा व्यय	500000	500000	1000000
08 - कार्यालय व्यय	250000	250000	500000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	100000	100000	200000
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्र	100000	100000	200000
18 - प्रकाशन	50000	50000	100000
24 - वृहत् निर्माण कार्य	2250000	2750000	5000000
25 - लघ् निर्माण कार्य	1350000	1650000	3000000
29 - अनुरक्षण	300000	350000	650000
42 - अन्य व्यय	750000	750000	1500000
44 - प्रशिक्षण व्यय	750000	750000	1500000
	6400000	**7250000**	**13650000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 7250000